RTI Matter

F.No.13030/9/2014-K.II
Government of India
Ministry of Home Affairs
K-II Desk

Room No. 92 B
North Block, New Delhi.
Dated: 5th May, 2014.

To

Shri Ashwani Rastogi,
S/o Sh. Narender Kumar Rastogi,
Bazar Ganj Gola Road,
Mohammdi Janpad Lakhimpur Khiri,
Uttar Pradesh.

Sub: Application dated 04.03.2014 of Shri Ashwani Rastogi seeking information under RTI Act, 2005

Sir,

Please refer to your RTI application dated 04.03.2014 addressed to CPIO, PMO, which has been received in this section on 17.04.2014 through RTI Cell of MHA seeking therein information under RTI Act, 2005.

2. As far as Kashmir Division of Ministry of Home Affairs is concerned, the various action taken by Govt. to control the infiltration from Cross Boarder is as under:-

"The Government in tandem with the State Government, have adopted a multi-pronged approach to contain cross border infiltration, which includes, inter-alia, strengthening of border management and multi-tiered and multi-modal deployment along international border/line of control, and infiltration routes, construction of border fencing, improved technology, weapons and equipments for security forces, improved intelligence and operational coordination, synergizing intelligence flow to check infiltration and pro-active action against the terrorists within the States. The counter infiltration efforts are reviewed periodically at various levels in the State Government and in the Central Government."

3. The Appellate Authority in this matter is Shri R.K. Srivastava, Joint Secretary (Kashmir), Room No. 127-A, North Block, New Delhi.

Yours faithfully,

जारी किया
ISSUED
06 MAY 2014
MHA (NB)

(Mrs. Sulekha)
Deputy Secretary & CPIO
Tel.No. 23092696

Copy for information to Under Secretary, RTI Section, MHA, North Block, New Delhi, w.r.t. their O.M No. A.43020/01/2014-RTI dated 09.04.2014.

402/128/(ज)/14
1714

आर टी आई मामला/तत्काल

सं. ए-43020/01/2013-आर टी आई
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
****

नई दिल्ली, दिनांक : 09/04/2013

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री/श्रीमती/सुश्री अश्विनी रस्तोगी का आवेदन।

****

अधोहस्ताक्षरी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मुहैया कराने के संबंध में श्री/श्रीमती/सुश्री अश्विनी रस्तोगी का दिनांक 04/03/2014 का आवेदन-पत्र-संलग्न-जो प्रधान मंत्री कार्यालय से अंतरण द्वारा दिनांक / /2014 को प्राप्त) की .... अंतरित करने का निदेश हुआ है, क्योंकि मांगी गई सूचना उक्त प्रभाग के विषयवस्तुओं से संबंधित है/निकट रूप से संबंध रखती है। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि विषयवस्तु का संबंध किसी अन्य केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से है, तो आवेदक को सूचित करते हुए आवेदन की प्रति उस प्राधिकारी को अग्रेषित/अंतरित कर दिया जाये।

2. आवेदक ने 10/- रु. का निर्धारित शुल्क दिनांक ... / ... /2013 की रसीद से .... के तहत जमा कर दिया है (संलग्न) नहीं दिया है क्योंकि वह बी पी एल श्रेणी से संबंध रखता/रखती है।

सु. सामंत
(सु. सामंत)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में
Vidhi (K-I)
गृह मंत्रालय
नार्थ ब्लॉक
नई दिल्ली

प्रति सूचनार्थ प्रेषित :
श्री/श्रीमती/सुश्री अश्विनी रस्तोगी,
पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार रस्तोगी,
....
.... (उत्तर प्रदेश)

US (K-III)
1714
URGENT
SO (K-III)
22/4
US (K-II)

349-K-III
12/04/2014

(उनसे अनुरोध है कि इस मामले में अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए उपरवर्णित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से संपर्क करें।)

सूचना का अधिकार

प्रधान मंत्री कार्यालय

साउथ ब्लाक, नई दिल्ली - 110 011

संख्या आरटीआई/1506/2014-पीएमआर

दिनांक: 12/03/2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय - सूचना का अधिकार के तहत आवेदन-पत्र

उपर्युक्त विषय पर श्री अश्विनी रस्तोगी से प्राप्त दिनांक 4.3.2014 का आवेदन-पत्र, जो इस कार्यालय में दिनांक 7.3.2014 को प्राप्त हुआ है, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत यथोचित कार्रवाई हेतु अंतरित किया जा रहा है।

2. आवेदक से आवेदन-शुल्क प्राप्त हो गई है।

(सैयद इकराम रिज़वी)
उप सचिव एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
☎: 2307 4072

1. गृह सचिव, गृह मंत्रालय
   नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
2. विदेश सचिव, विदेश मंत्रालय
   साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली
3. रक्षा सचिव, रक्षा मंत्रालय
   साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली

प्रति- (रजिस्टर्ड पोस्ट ए.डी. द्वारा)

श्री अश्विनी रस्तोगी
पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार रस्तोगी
बाजार गंज गोला रोड
मोहम्मदी जनपद लखीमपुर(खीरी)
उत्तर प्रदेश

कृपया आप इस संबंध में आगे सूचना हेतु उपरोक्त लोक प्राधिकरणों से सम्पर्क करें।

सेवा में,

. . . . .नामित जनसूचना अधिकारी।

(प्राधिकारी का नाम) मा० प्रधान मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली

(संस्था का नाम)

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा: 6(1)(क) के प्राविधानानुसार

प्रमाणित प्रतियों के रूप में सूचना प्राप्त किये जाने हेतु आवेदनपत्र

1506/14

महोदय,

आवेदक को उपरोक्त वर्णित अधिनियम एवं धारा के अन्तर्गत निम्नांकित सूचनाओं की प्रमाणित प्रतियों के रूप में आवश्यकता है उत्तर प्रदेश सूचना अधिकार फीस एवं लागत विनियम) नियमावली 2006 के नियम 04 के प्राविधानानुसार "प्रार्थना पत्र (शुल्क) राशि के रूप में दस रुपये की धनराशि की अदायगी हेतु भारतीय स्टेट बैंक पोस्टल आर्डर संख्या 25F 116832 . . . . दिनांक 4-3-2014 उपडाकघर मोहम्मदी (खीरी) . . द्वारा दिनांक 4-3-2014 को जारी एवं . . . . नई दिल्ली . . डाकघर पर भुगतान योग्य मूल रूप में संलग्न है।

1506
07/03/14
12/03/14

कृपया सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 07(03)(क) के प्राविधानानुसार उक्त वांछित सूचनाओं निमित्त देय "सूचना" प्राप्त शुल्क राशि की जानकारी भी आवेदक को अपने पत्र द्वारा तत्काल देने का कष्ट करें जिससे शीघ्र जमाकर सूचनायें प्राप्त की जा सकें।

वांछित सूचनाओं का विवरण निम्नांकित है।:-

अमर उजाला बरेली दैनिक में दि० 22-2-2014 को प्रकाशित पेज सं-12 पर प्रकाशित लेख जो भारतीय संसद द्वारा दि० 22-2-14 को पारित प्रस्ताव जो निम्न लिखित है —
"यह सदन पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में चल रहे आतंकियों के शिविरों पर गंभीर चिंता जताता है। मानना है कि पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों को हथियारों और धन की आपूर्ति के साथ-साथ आतंकियों को भारत में घुसपैठ करने में मदद दी जा रही है। सदन भारत की जनता की ओर से घोषणा करता है कि पाक अधि... कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। भारत अपने इस भाग के विलय का हरसंभव प्रयास करेगा। भार... में इस बात की पर्याप्त क्षमता और संकल्प है कि वह उन नापाक इरादों का मुंहतोड़ जवाब दे, जो देश की एकता, प्रभुसत्ता और क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ हो, और मांग करता है कि पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर के उन इलाकों को खाली करे, जिसे उसने कब्जाया हुआ है। भारत के आंतरिक मामलों में किसी भी हस्तक्षेप का कठोर [redacted] जवाब दिया जायगा।"

प्रश्न – भारतीय संसद द्वारा उपरोक्त पारित प्रस्ताव दि० 22 फरवरी 1994 के संबंध में भारत सरकार द्वारा विगत 20 वर्षों में क्या-क्या प्रयास किये गये। प्रश्न के उत्तर से प्रार्थी को शीघ्रातिशीघ्र अवगत कराने की कृपा करें।

IPO No. 25F 116832 of ₹10/-

MHA
MEA
MOD

कृपया वांछित सूचनायें तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आवेदक-

दिनांक :- 4-3-2014
स्थान - मोहम्मदी (खीरी) उ०प्र०
संलग्न - उपरोक्तानुसार
मूल पोस्टल आर्डर,

. . अश्विनी रस्तोगी . .
(अश्विनी रस्तोगी)

नाम एवं पिता का नाम . . . .
. श्री नरेन्द्र कुमार रस्तोगी . .

पूरा पता - बाजार गंज गोला रोड . . .
. . . . मोहम्मदी जनपद लखीमपुर (खीरी)
फोन नं० - . . . .

संसद के उस संकल्प का क्या हुआ

परिदृश्य

विवेक शुक्ला
edit@amarujala.com

भारत की कश्मीर नीति की रोशनी में 22 फरवरी, 1994 एक बेहद खासमखास दिन है। बीस साल पहले इसी दिन संसद ने एक प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित कर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) पर अपना हक जताते हुए कहा था कि यह भारत का अटूट अंग है। पाकिस्तान को वह हिस्सा छोड़ना होगा, जिस पर उसने कब्जा जमा रखा है। संसद का वह प्रस्ताव मोटे तौर पर इस तरह था, "यह सदन पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में चल रहे आतंकियों के शिविरों पर गंभीर चिंता जताता है। इसका मानना है कि पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों को हथियारों और धन की आपूर्ति के साथ-साथ आतंकियों को भारत में घुसपैठ करने में मदद दी जा रही है। सदन भारत की जनता की ओर से घोषणा करता है कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। भारत अपने इस भाग के विलय का हरसंभव प्रयास करेगा। भारत में इस बात की पर्याप्त क्षमता और संकल्प है कि वह उन नापाक इरादों का मुंहतोड़ जवाब दे, जो देश की एकता, प्रभुसत्ता और क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ हों; और मांग करता है कि पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर के उन इलाकों को खाली करे, जिसे उसने कब्जाया हुआ है। भारत के आंतरिक मामलों में किसी भी हस्तक्षेप का कठोर जवाब दिया जाएगा।"

कोई नहीं जानता कि बीते बीस वर्षों में देश ने पीओके के विलय की दिशा में क्या कदम उठाए। बीते दिनों नवाज शरीफ ने अमेरिका दौरे के दौरान बराक ओबामा और दूसरे अमेरिकी नेताओं से कश्मीर मसले के हल का आग्रह किया। जब जम्मू-कश्मीर भारत का अटूट अंग है, तब वह कश्मीर मसले का क्या हल चाहते हैं?

बीस साल पहले आज ही के दिन संसद ने पाक अधिकृत कश्मीर को वापस लेने का प्रस्ताव पारित किया था।

विशेषज्ञों का मानना है कि शिमला समझौते की रोशनी में, जिसमें नियंत्रण रेखा को दोनों देशों के बीच सरहद के रूप में स्वीकार किया गया था, संसद में पारित प्रस्ताव का कोई मतलब नहीं है। 1972 में वह समझौता प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के वजीरे आजम जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ था। उस समझौते के बाद अब दोनों देशों के नक्शे नहीं बदल सकते। उल्लेखनीय है कि जिसे हम पाक अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, वह जम्मू का हिस्सा था, कश्मीर का नहीं। इसलिए उसे कश्मीर कहना ही गलत है। वहां की जुबान कश्मीरी न होकर डोगरी और मीरपुरी का मिश्रण है। अब चूंकि भारत और पाकिस्तान परमाणु अस्त्रों से सुसज्जित देश हैं, इसलिए इस मसले के सैन्य समाधान की भी उम्मीद नहीं है। अगर इतिहास के पन्ने पलटें, तो पाक अधिकृत कश्मीर पर भारत का पक्ष साफ हो जाएगा। विभाजन के बाद कश्मीर के महाराजा हरी सिंह भारत में अपने राज्य के विलय के प्रस्ताव को मान गए थे। विलय के उपरांत भारत को तत्कालीन कश्मीर राज्य के वर्तमान भाग पर अधिकार मिला। भारत का दावा है कि महाराजा हरी सिंह से हुई संधि के परिणामस्वरूप पूरे कश्मीर पर भारत का अधिकार है। इस कारण भारत का दावा पूरे कश्मीर पर सही है।

ऐसे में, हमारी सरकार से यह पूछना चाहिए कि संसद में पारित प्रस्ताव को असली जामा पहनाने के लिए वह क्या किसी तरह की कूटनीतिक पहल कर रही है। क्या उसे पाक अधिकृत कश्मीर के भारत में विलय के लिए युद्ध भी मंजूर है? यह क्यों न माना जाए कि सरकार ने